भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2244
जिसका उत्तर शुक्रवार, 31 जुलाई, 2026 को दिया जाना है

न्यायालय में शिष्टाचार

2244. श्री सुरेश कुमार शेटकर :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यायालय में आचरण के संबंध में अधिवक्ताओं के लिए प्रशिक्षण अथवा संवेदनशीलता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, यदि हाँ, तो ऐसी पहलों की प्रभावशीलता सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या न्यायालय परिसरों में व्यवधानों को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें क्या कमियां चिह्नित की गई हैं ;

(ग) क्या न्यायालयों में अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए सीसीटीवी निगरानी जैसी तकनीकी व्यवस्थाओं का उपयोग किया जा रहा है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा विभिन्न न्यायालयों में इसका कवरेज क्या है ;

(घ) क्या न्यायालय कक्षों में अभद्र व्यवहार अथवा डराने-धमकाने संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसी चिंताओं के समाधान के लिए क्या कार्रवाई की गई है ; और

(ङ) क्या सरकार ने व्यावसायिक आचरण मानकों को लागू करने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया से परामर्श किया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ङ) : भारतीय विधिज्ञ परिषद नियम (वृत्तिक आचरण और शिष्टाचार के मानक) के भाग 6, अध्याय 2, में अधिवक्ताओं द्वारा पालन किए जाने वाले वृत्तिक आचरण के मानक

अधिकथित किए गए हैं। नियमों में अन्य बातों के साथ, प्रत्येक अधिवक्ता से न्यायालय के प्रति सम्मानजनक दृष्टिकोण बनाए रखने और गरिमापूर्ण व्यवहार करने, मर्यादित भाषा का प्रयोग करने और न्यायिक संस्था के सम्मान और गरिमा को बनाए रखने की अपेक्षा की गई है।

अधिवक्ता अधिनियम, 1961 अधिवक्ताओं के वृत्तिक आचरण और अनुशासन को लागू करने के लिए एक कानूनी तंत्र का उपबंध करता है। अधिनियम की धारा 35 और 36 क्रमशः राज्य विधिज्ञ परिषद और भारतीय विधिज्ञ परिषद को वृत्तिक या अन्य अवचार के मामलों में अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने और उचित शास्ति अधिरोपित करने का अधिकार देती हैं। वृत्तिक आचरण और शिष्टाचार के मानक भारतीय विधिज्ञ परिषद नियम के भाग 6 के अध्याय 2 में विहित हैं और अधिनियम के अधीन उपबंधित अनुशासनात्मक ढांचे द्वारा उनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है।

न्यायालय में मर्यादा भंग से संबंधित मामलों पर न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 के अधीन भी कार्रवाई की जा सकती है, जो न्यायालयों की अवमानना के लिए दंड देने हेतु कतिपय न्यायालयों की शक्तियों को परिभाषित और परिसीमित करता है तथा उनसे संबंधित प्रक्रियाओं को विनियमित करता है। यह अधिनियम अन्य बातों के साथ किसी भी विषय के प्रकाशन (चाहे शब्दों द्वारा, मौखिक या लिखित रूप से, या संकेतों द्वारा, या दृश्य प्रस्तुतियों द्वारा, या अन्यथा) या किसी भी अन्य ऐसे कार्य को संबोधित करता है जो (i) किसी न्यायालय की प्रतिष्ठा को कलंकित करता है या कलंकित करने की प्रवृत्ति रखता है, या उसकी प्रतिष्ठा को कम करता है या कम करने की प्रवृत्ति रखता है; या (2) किसी भी न्यायिक कार्यवाही के उचित संचालन में प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न करता है, या हस्तक्षेप करता है या हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति रखता है; या (2i) किसी अन्य रीति से न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करता है या हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति रखता है, या बाधा उत्पन्न करता है या बाधा उत्पन्न करने की प्रवृत्ति रखता है।

केंद्रीय सरकार न्यायालयों में अनुशासनहीन व्यवहार या धमकी से संबंधित शिकायतों पर नज़र रखने के लिए कोई केंद्रीकृत डेटाबेस नहीं रखती है। संविधान के आधीन, 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। न्यायालयों सहित संस्थानों को सुरक्षा प्रदान करने की ज़िम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों की है। सरकार, राज्य सरकारों को कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहायता और सहयोग देने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को तैनात करती है और उनकी पुलिस बलों के आधुनिकीकरण और क्षमता निर्माण के लिए उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

भारत के उच्चतम न्यायालय ने तारीख 11.08.2023 को रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 99/2015 (प्रद्युमन बिष्त बनाम भारत संघ और अन्य) में अपने आदेश में न्यायालयों में सुरक्षा उपायों के संबंध में मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित करते हुए निदेश दिया कि सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना जिलावार बनाई जानी चाहिए और संबंधित राज्य सरकारें इस योजना

के क्रियान्वयन के लिए समय पर अपेक्षित निधि उपलब्ध कराएंगी। न्यायालय ने, आगे सुरक्षा योजना को अंतिम रूप देने के पश्चात , स्थानीय अपेक्षाओं के अधिक यथार्थवादी विश्लेषण के लिए उच्च न्यायालय सीसीटीवी कैमरों की स्थापना और रखरखाव की जिम्मेदारी संबंधित जिला और सत्र न्यायाधीशों को सौंप सकते हैं।
